कार्यालय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र

संख्या:एसटी/शि0-10ए/06(अनु0आयोग) दिनांक:जनवरी 18 ,2008

सेवामें,

सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
भारत सरकार, छटी मंजिल,'बी'विंग,लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

कृपया आप अपने पत्रसंख्या: उ.प्र.-19/2006/अत्याचार/आर.यू.-1, दिनांक 22.11.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदक श्री सीताराम प्रबन्धक, भा.रा.दे.व. छात्रावास, सोनभद्र का शिकायती प्रार्थनापत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुये प्रकरण की जॉचोपरान्त आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

आपके संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त आवेदक उपरोक्त के शिकायती प्रार्थनापत्र में अंकित आरापों/तथ्यों की जॉच श्री संजय चौधरी, क्षेत्राधिकारी ओबरा, सोनभद्र से करायी गयी है, जिनकी जॉचोपरान्त प्राप्त आख्या जो स्वत: स्पष्ट एवं तथ्यों पर आधारित है, की एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है । क्षेत्राधिकारी ओबरा, सोनभद्र की संलग्न आख्या से मैं सहमत हूँ ।

आख्या कृपया अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोपरि

(राम कुमार)
पुलिस अधीक्षक
सोनभद्र

पुलिस अधीक्षक,

सोनभद्र ।

कृपया आप अपने पत्र संख्या एसटी/शि0-10९/06, दिनांक-01-12-06 (अनु0आयोग) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो सहायक निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठी मंजिल, बी विंग, लोक नायक भवन खान मार्किट नई दिल्ली के पत्रांक संख्या -उ0पु0-19/2006/अत्याचार /आर.यू.-I के माध्यम से प्राप्त आवेदकगण श्री सीताराम, बन्धुराम, प्रबन्धक भा0रा0 सं0व0छात्रावास सोनभद्र के शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने विषयक है ।

आरोप:- आवेदकगण ने तत्कालीन चौकी इन्चार्ज डाला श्री अजय कुमार यादव सिपाही राममिलन तिवारी, सिपाही आर्यमा नारायण ओझा के विरूद्ध प्रबन्धक वनवासी छात्रावास डाला को प्रताडित करने आदि के आरोप अंकित किये गये है।

जाँच:- सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की जाँच की गयी। जाँच के दौरान सम्बन्धित के अभिकथन अंकित किये गये, तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विवरण निम्नवत है:-

श्री सीताराम पुत्र स्व0 बेशहू प्रसाद निवासी सेवा समर्पण संस्थान खन्ना कैम्प वाडी डाला थाना चोपन सोनभद्र, स्थायी पता ग्राम पिपरखाड थाना कोन सोनभद्र ने पूछने पर बताया कि मेरे दो कार्यकर्ता (1) आनन्द जी (2) राकेश दिनांक 28-7-06 को राबर्टसगंज से डाला के लिये आ रहे थे किराये को लेकर के जीप ड्राइवर से बात विवाद हुआ एंव ड्राइवर एंव आनन्द और राकेश के बीच मार पीट हुआ जिससे दोनो व्यक्तियों का सर्ट फट गया बीच बचाव करके झगडा छुडा दिया गया फिर कुछ देर चौकी डाला से 5 (पांच) पुलिस वाले खन्ना कैम्प मे आये मै किसी का नाम नही जानता (सीताराम, आनन्द व राकेश तीनों व्यक्तियों को चौकी पर ले गये और बिना कुछ पूछे हम लोगो को मारने पीटने लगे जिसका नाम मै नही जानता हु इसके बाद चौकी ईन्चार्ज द्वारा सुलह समझौता करा कर ड्राईवर का सर्ट फट गया था उसको मुझसे 500/ रूपये दिलवाया गया ।

प्रश्न:-प्रार्थना पत्र मे का0राजमिलन तिवारी, आर्यमा नारायण ओझा का नाम अंकित किया गया है, और बयान मे आप ने बताया है कि मै किसी का नाम नही जानता हु तो प्रार्थना पत्र मे नाम अंकित कैसे कर दिया गया है।

उत्तर:- मुझे याद नही है, अन्य लोगो ने ही नाम बताया है। इस सम्बन्ध मे

अन्य लोग ही बता सकते है।

प्रश्नः- अब आप उक्त प्रकरण मे क्या कार्यवाही चाहते है9

उत्तर- इस समय इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है, समझौता जो पूर्व मे लिया गया है वही सही मानता हु।

श्री आनन्द जी पुत्र श्री श्याम बिहारी उपाध्याय निवासी सोहबद पो० चोगी थाना रायपुर सोनभद्र हाल पता सेवा समपर्ण संस्था बस स्टैण्ड के पास आर० सी० उ०प्र० पूछने पर बता रहे है कि दिनांक 29-7-06 को सायं 5 बजे हमारे व जीप ड्राईवर के बीच किराये को लेकर विवाद हुआ था और हमने अपने डाला स्थित खन्ना कैम्प मे चला गया जहा कुछ देर के बाद डाला पुलिस चौकी से चार-पाच सिपाही आये और कहा कि चौकी चलिये जाते समय रास्ते मे मारने पीटने व भद्दी-भद्दी गालियाँ दिये, बाद मे चौकी ईन्चार्ज डाला उ०नि० श्री अजय कुमार यादव व एस०ओ०जी सिपाही आर्यमा नारायण ओझा जो जीप का स्वंय संचालन कराते थे व रामामिलन तिवारी ने भी आकर पीटा व सीताराम व बन्धूराम को गाली गलौज करते हुये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किये व कहा कि बनवासी बच्चों की आड मे नक्सलियों को पनाह दे रहे हो आरोप लगाकर अन्दर कर दूगा चौकी इन्चार्ज के द्वारा हास्टल छोड कर भाग जाने की धमकी दिये जाने के कारण ही बन्धूराम, रामअवध व राकेश भी हास्टल छोड कर भाग गये जो अपने संस्थान मे नही है।

प्रश्नः- क्या आप लोगो मे चौकी पर समझौता हुआ था 9

उत्तरः- हम लोगो के बीच मे समझौता जबरिया पुलिस द्वारा कराया गया और हम लोगो से 600/ रूपया उक्त जीप चालक को दिलवाया गया ।

प्रश्नः- समझौते के बाद भी पुलिस द्वारा परेशान किया गया9

उत्तरः- समझौत के बाद भी श्री आर्यमा नारायण ओझा द्वारा डाला स्थित छात्रावास छोड कर भाग जाने की धमकी दी गयी थी, लेकिन जिसके कारण राकेश, बन्धूराम, रामअवध जो संस्था का कार्यकर्ता थे भय बस संस्था छोड कर चले गये जो अब बयान देने हेतु उपलब्ध नही हो सकते है।

प्रश्नः- अब आप दिये गये प्रार्थना पत्र मे क्या चाहते है9

उत्तरः- अब हम कोई कार्यवाही नही चाहते है, समझौता चाहते है। इस समय मै इसी संस्थामे रहता हु।

उ०नि० श्री अजय कुमार यादव थाना चोपन सोनभद्र ने अपने बयान मे बताया कि मै दिनांक 28-7-06 को चौकी डाला थाना चोपन सोनभद्र मे ब हैसियत प्रभारी चौकी तैनात रहा हु ।उस दिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने जरिये

टेलीफोन चौकी पर सूचना दिया कि खन्ना कैम्प के लोग जीप चालक एवं खलासी को कैम्प मे ले जाकर मार पीट रहे है।इस सूचना पर चौकी पर उपस्थित आरक्षीगण को तत्काल मौके पर का0मो0जगजीवन राम द्वारा भेजवाया गया था और मुझे सूचित किया गया चौकी के कर्मचारीगण खन्ना कैम्प के तीन व्यक्तियों एवं जीप संख्या=यू0पी0-64 सी/1566 की चालक एवं खलासी को जो घायल थे बुलाकर चौकी पर लाया गया था.चालक द्वारा अपने मालिक को घटना की सूचना दी गयी थी, प्रकरण मे खन्ना कैम्प के आनन्द जी आदि तीन व्यक्ति राबर्टसगंज से जीप पर बैठ कर आये और निर्धारित भाड़ा से कम देने पर खलासी से कहा सुनी करके कैम्प के अन्य लोगों के सहयोग से खीच कर मारने पीटने का था किन्तु चालक व खलासी अपने मालिक के आने पर कार्यवाही हेतु कह रहे थे ।खन्ना कैम्प से सम्बन्धित कुछ और लोग चौकी पर आये जीप मालिक से मिलकर मामले का समझौता कर लिये चालक खलासी की दवा ईलाज हेतु 500/ रूपया भी दिये समझौता कर लेने के कारण उक्त प्रकरण मे कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की गयी थी।चूकि खन्ना कैम्प के लोगो द्वारा खलासी,चालक को मार पीट कर चोट पहुचायी गयी थी, अतैव समझौते के बाद इस भय से कि कहीं चालक खलासी कोई कार्यवाही न कर दे बन्धुराम द्वारा पुलिस को दोषी बनाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोप सत्यता परे एवं मनगढन्त है।उभय पक्षो मे आपस मे समझौता होने के कारण उक्त प्रकरण मे कोई पुलिस कार्यवाही नही की गयी।

प्रश्नः- आरक्षी आर्यमा नारायण ओझा पुलिस चौकी पर क्यो आये थे, क्या उनकी जीप के सम्बन्ध मे विवाद हुआ था ?

उत्तरः- आरक्षी आर्यमा नारायण ओझा उस वक्त एस0ओ0जी0 मे कार्यरत थे तथा किसी मामले की सुरागरसी पतारसी मे चौकी पर आये थे,आर्यमा नारायण ओझा की कोई जीप न तो उस समय संचालित होती थी और न आज होती है।

प्रश्नः- क्या आप अथवा आर्यमा नारायण ओझा तथा राजमिलन तिवारी या अन्य कर्मचारीगण द्वारा आवेदक को उनके छात्रावास पर धमकी दी गयी थी

उत्तरः- मेरे या अधीनस्त किसी भी कर्मचारीगण द्वारा कभी भी आवेदक गण को धमकी नहीं दी गयी थी आवेदक गण द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे अपने विरूद्ध किसी वैधानिक कार्यवाही से बचाव मे प्रार्थना पत्र मे मनगढन्त आरोप लगाया गया है ।

निष्कर्षः- जाँच के दौरान लिये गये बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक सीताराम के कैम्प के दो कार्यकर्ता अर्थात आनन्द जी व राकेश जी जीप संख्या-यू0पी0-64सी

1577 से रावर्टसगंज से डाला के लिये चढ़े तथा अपने कैम्प के सामने उतरे, भाड़े के लेन देन को लेकर जीप के ड्राइवर व खलासी से कांवड़ियों का विवाद हो गया जिसमे कैम्प के और लोग के आ जाने पर उन लोगो द्वारा जीप के ड्राइवर एंव खलासी को कैम्प के अन्दर खींच कर मारा पीटा गया जिसमे ड्राइवर व खलासी को चोटे आयी तथा उनका शर्ट फट गया । इसकी सूचना पुलिस चौकी डाला को मिलने पर दोनो पक्षों को चौकी पर बुलवाया गया । इस बीच सूचना पर जीप के मालिक एंव खन्ना कैम्प के भी बहुत से लोग आ गये ।जीप मालिक एंव खन्ना कैम्प के लोगो के बीच आपसी सहमत के आधार पर समझौता कर लिया गया तथा इसके अर्न्तगत लिखित सुलहनामा हुआ और दोनो पक्ष आपस मे सहमत हुये कि अब वह कोई वैधानिक कार्यवाही एक दूसरे के विरूद्ध नही चाहते है ।आरक्षी आर्यमा नारायण ओझा के कोई जीप नही चलती थी दोनो पक्ष के लोग तत्कालीन चौकी इन्चार्ज डाला श्री अजय यादव के समक्ष यह स्वीकार किये कि इस प्रकरण मे वह किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्यवाही नही चाहते है ।प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोप की पुष्टि जाँच से नही हुई आवेदक को इस प्रकरण मे कोई शिकायत नही है । वर्तमान मे दोनो पक्षो के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद/शिकायत नही है । किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यता नही है ।

जाँच आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

संलग्नक:-

प्रार्थना पत्र-1 वर्क ।
सुलहनामा- 1 वर्क ।
दिनांक- जनवरी, 11, 2008

11.1.08
§संजय चौधरी§
क्षेत्राधिकारी ओबरा
सोनभद्र ।